एचसी प्रदीप कुमार राय और अन्य।

बनाम

दिनेश कुमार पांडे एवं अन्य वगैरह।

(सिविल अपील संख्या 6549/2014)

11 मई 2015

[रंजन गोगोई और पिनाकी चंद्र घोष, जे.जे]

सेवा कानून - कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की उप-निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति - असफल अभ्यर्थियों द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया को चुनौती - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर रिट याचिका को अनुमति दी कि पुलिस विनियमों से पर्याप्त विचलन हुआ है, साक्षात्कार के लिए आवश्यक अभ्यर्थियों से कहीं अधिक चार गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया, सीलबंद आवरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और साक्षात्कार समिति के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग अंक नहीं दिए- उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को पलट दिया, अभिनिर्धारित किया गया, कार्यपालिका के साथ न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी उचित है जब कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य हो या न्याय का दुरुपयोग हो - वर्तमान मामले में पदोन्नति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं है - इसके अलावा, साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लेने वाले अपीलकर्ताओं को परिणाम की घोषणा के बाद, प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी

जा सकती है। वर्तमान मामले में, किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य या न्याय की हानि के अभाव में, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, 1976- विनियम 445 (बी) (4)।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :

1. उप-निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया था और इसमें प्रत्येक सरकारी आदेश सरकार का आदेश दिनांक 23-01-1999 व 22-02-1999 को संशोधित किया गया था। इस प्रकार, हर बार नई प्रक्रिया निर्धारित होने पर पूर्व सरकारी आदेश को निहित रूप से निरस्त कर दिया जाता था। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन, 1976 के विनियम 445 (वी) (4) और शासनादेश दिनांक 27.02.1999 के खंड 8 में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं प्रदान की गई हैं। सरकारी आदेश की धारा 8 में अभ्यर्थी को साक्षात्कार की सूची में आने के लिए योग्यता नहीं बल्कि केवल पात्रता प्रदान की गई है। नियम का खंड 8 उन सभी को साक्षात्कार के लिए बुलाना अनिवार्य बनाता है जो प्रत्येक विषय में अलग-अलग 40% अंक प्राप्त करते हैं और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त करते हैं। यदि उपरोक्त दोनों नियम अस्तित्व में होते, तो यह एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता। इसलिए, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में, विनियमन 445 को 27.02.1999

के सरकारी आदेश पर हावी या सह-अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 14] [837-बी, ई, एफ-एच] [838-ए-सी]

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड (2013) 15 एससीसी 1-संदर्भित ।

2. यूपी सरकार के विनियम 445 (31.08.1977 तक संशोधित) जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता और प्रक्रिया प्रदान करता है, वास्तव में समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों का संकलन है। इसलिए, सरकारी आदेशों की तुलना में विनियम एक बेहतर कानून नहीं हैं और यह सुझाव देना गलत हो सकता है कि विनियम, विनियम कहलाने के कारण सरकारी आदेशों पर हावी होंगे। [पैरा 10] [835-बी- ई]

3. इसके अलावा, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से रिक्तियों की संख्या के अनुपात के बारे में कोई कानून का नियम नहीं है; हालाँकि यह एक विवेकीय नियम हो सकता है।यधपि चयन समिति के लिये इतनी अधिक संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाना अनुचित हो सकता है, परन्तु चयन मात्र इस आधार पर दूषित नहीं हो सकता, जबकि ऐसा कोई कार्य दुर्भावना से या अप्रत्यक्ष रूप से दूषित न हो। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया है कि यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता, रिक्तियों की

संख्या केवल चार गुना होने के कारण, उन्हें उस सूची में सूचीबद्ध किया जाता। [पैरा 15] [838-डी-जी]

मोहिंदर सैन गर्ग बनाम. पंजाब राज्य और अन्य। (1991)1 एससीसी 662: 1990 (3) पूरक। एससीआर 108; अशोक कुमार यादव बनाम. हरियाणा राज्य (1985) 4 एससीसी 417: 1985 (1) पूरक।एससीआर 657- पर निर्भर।

4. जिन व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उन पर होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को रोकने के लिए सीलबंद कवर प्रक्रिया की प्रक्रिया तैयार की गई थी वर्तमान मामले में, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रहग्रस्त हों। [पैरा 17] [839-डी, ई]

5. बहुसदस्यीय साक्षात्कार पैनल के गठन का उद्देश्य मनमानी को दूर करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। साक्षात्कार पैनल के प्रत्येक सदस्य को उम्मीदवारों को अंक देने में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना आवश्यक है। प्रत्येक पैनलिस्ट द्वारा मस्तिष्क के स्वतंत्र प्रयोग का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि उन्होंने अलग-अलग अंक दिए। हालाँकि, केवल इसलिए कि साक्षात्कार समिति के पैनलिस्टों ने अलग-अलग अंक नहीं दिए, पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, सरकारी आदेश दिनांक 03.02.1999 जिसमें यह प्रावधान था कि

साक्षात्कार पैनलिस्टों द्वारा अंक अलग से दिए जाने चाहिए, दिनांक 23.01.1999 के सरकारी आदेश की निरंतरता में था, जिसे 27.02.1999 के सरकारी आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से हटा दिया गया था। सरकारी आदेश दिनांक 27.02.1999 में ऐसी कोई शर्त नहीं दी गई कि अंक प्रत्येक साक्षात्कार पैनलिस्ट द्वारा अलग से दिए जाएंगे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने अपने बनाये नियमों का पालन नहीं किया. [पैरा 18] [839-जी-एच; 840-ई-ई]

लीला धर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। (1981) 4 एससीसी 159: 1982 (1) एससीआर 320-पर निर्भर।

6. यह एक स्थापित कानून है कि वर्तमान जैसे मामलों में, जहां राज्य की कार्यकारी कार्यवाही को चुनौती दी जाती है, न्यायालय को सावधानी से चलना चाहिए और अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप तभी आवश्यक है जब कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य हो या न्याय की विफलता हो। वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई अप्रत्यक्ष मंशा या न्याय की विफलता नहीं है। [पैरा 19] [840-एफ-जी]

7. अपीलकर्ताओं ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लिया था और परिणाम घोषित होने तक इसे चुनौती नहीं दी थी। साक्षात्कार और परिणाम घोषित होने के बीच लगभग चार महीने का अंतर था। हालाँकि,

अपीलकर्ताओं ने उस समय इसे चुनौती नहीं दी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जब अपीलकर्ताओं ने स्वयं को असफल पाया, तभी उन्होंने साक्षात्कार को चुनौती दी। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते। या तो उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहिए था और प्रक्रिया को चुनौती देनी चाहिए थी या उन्हें साक्षात्कार आयोजित होने के तुरंत बाद चुनौती देनी चाहिए थी। [पैरा 16] [839-ए-सी]

विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम. लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड एवं अन्य। (2011) 1 एससीसी 150: 2010 (12) एससीआर 944; के.एच. सिराज बनाम. केरल उच्च न्यायालय और अन्य। (2006) 6 एससीसी 395: 2006 (2) पूरक। एससीआर 790 - पर निर्भर।

केस कानून संदर्भ

(2013) 15 एससीसी 1	निर्दिष्ट	14 के लिए
1990 (3) सप्ल. एससीआर 108	निर्दिष्ट	15 के लिए
1985 (1) पूरक एससीआर 657	पर भरोसा किया	15 के लिए
2010 (12) एससीआर 944	पर भरोसा।	16 के लिए
2006 (2) पूरक। एससीआर 790	पर भरोसा।	16 के लिए
1982 (1) एससीआर 320	पर भरोसा।	18 के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:सिविल अपील संख्या 6549/2014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा खंडपीठ की विशेष अपील संख्या 579/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.03.2008 से।

के साथ

सी.ए. 2014 के नंबर 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555 और 6556- 6561, 2015 के 4327, 4328, 4329, 4330, 4331 और 4332, 2014 के डब्ल्यू.पी. (सी) नंबर 1057।

नागेंद्र राय, गौरव भाटिया, एएजी, केविन गुलाटी, प्रज्ञा बघेल, रोहित स्थालेकर, अवि टंडन, जयंत मेहता, प्रशांत शुक्ला, प्रशांत चौधरी, शकील अहमद सैयद, मो. परवेज़ डबास, उज़्मी जमील हुसैन, मीर इम्तियाज़, स्मरहार सिंह, शांतनु सागर, आकाश कुमार, प्रेरणा सिंह, टी. महिपाल, पंकज कुमार शुक्ला, पवन कुमार शुक्ला, के.एल. जंजानी, मुकेश वर्मा, यशपाल ढींगरा, मयूरी रघुवंशी, व्योम रघुवंशी, डॉ। विनोद कुमार तिवारी, विश्व पाल सिंह, प्रमोद स्वरूप, प्रवीण स्वरूप, सुषमा वर्मा, सुरेश कुमार, वीरेश कुमार यादव, एम.एम. सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अभिनव मलिक, विभु तिवारी,गौरव श्रीवास्तव, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, जतिंदर कुमार भाटिया, अजय कुमार सिंह, दिगेंद्र शर्मा, डॉ. मोनिका गुसाईं, हरिओम यदुवंशी, अभिनव जैन, मो. मुजतबा, प्रमोद के. तिवारी, शैलेन्द्र कुमार मिश्र, चंदन

कृ., जया कुमारी, रजत शर्मा, राजेश चन्द्र तिवारी, राघवेन्द्र तिवारी, अनिलेन्द्र पांडे, एन.एन. झा, विष्णु शंकर जैन, डॉ. कैलाश चंद, संतोष कुमार त्रिपाठी, वरुण सरीन, अशोक माथुर, अणुव्रत शर्मा , दीपक गोयल, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, जीतेंद्र मोहन शर्मा, रोहित सिंह, मनोज के. मिश्रा, शेखर कुमार, एस.आर. सेतिया, तैयंजम मोमो सिंह, इंदु शर्मा, मृदुला रे भारद्वाज, प्रतिभा जैन, कमलेंद्र मिश्रा, विजय कुमार, गोपाल प्रसाद, संध्या उपस्थित पक्षों के लिए गोस्वामी, ए.एन. बरदियार, मुकुल कुमार, धरम बीर राज वोहरा, एम. ए. कृष्णा मूर्ति, रामवीर सिंह।

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश पिनाकी चंद्र घोष, जे द्वारा पारित किया गया:

1. विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी गई। आई.ए 2015 की संख्या 52 अनुमति दी गई।

2. अपीलों का यह बैच उत्तर प्रदेश राज्य में कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की उप-निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति से संबंधित एक आम विवाद को जन्म देता है। पदोन्नति की प्रक्रिया 1999 में शुरू हुई और तब से मुकदमेबाजी में उलझी हुई है। मूल रूप से, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के पद से उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने पदोन्नति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में चयन और पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी है।

3. इस मामले के निस्तारण के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार दिनांक 23-01-99 को राज्य में उप-निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती और कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति द्वारा विभागीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए निर्णय लिया। दिनांक 23.01.1999 के आदेश के क्रम में 3.02.1999 को एक और सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसके अनुसार 31.12.1999 तक उप-निरीक्षकों की सभी रिक्तियों को भरा जाना था। 27.02.1999 को, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और आदेश जारी किया जिसने 23.01.1999 के पिछले आदेश को हटा दिया। 27.02.1999 के आदेश में परीक्षा और चयन और पदोन्नति की प्रक्रिया का पूरा पैटर्न प्रदान किया गया था। नए पैटर्न के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जानी थी: (1) प्रारंभिक लिखित परीक्षा और पैदल सेना परीक्षण/शारीरिक परीक्षण; (2) मुख्य लिखित परीक्षा; और (3) साक्षात्कार. प्रारंभिक परीक्षा और आईटी/पीटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र थे।

4. 1999 में मौजूदा नियमों के अनुसार, कुल रिक्तियों का 50% कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रूप में सेवारत व्यक्तियों की पदोन्नति से भरा जाना था और शेष 50% रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय चयन प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय राज्य में सब-इंस्पेक्टर रैंक की 2956 रिक्तियां थीं। इसलिए प्रारंभ में पदोन्नत कोटा के लिए रिक्तियों की संख्या 1478 थी। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि

दिनांक 10.01.2000 के आदेश के तहत, राज्य पिछड़ा वर्ग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में विभागीय परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदोन्नत कोटा में अन्य 86 पद जोड़े गए थे। 50% की दर पर पदोन्नत और सीधी भर्ती के अनुपात को बनाए रखने के लिए। इस प्रकार, पदोन्नत कोटे के लिए रिक्तियों की संख्या 1564 हो गई। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 1999 की विशेष अपील संख्या 1372: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के अनुसार। उत्तर प्रदेश सरकार बनाम रणबीर सिंह में पदोन्नतियों का एक और वर्ग बनाया जिसमें 385 हेड कांस्टेबल शामिल थे जिनका कि चयन प्रक्रिया से गुजरे बिना उनकी सेवा अवधि के आधार पर सीधे पदोन्नत किया जाना है। इस वर्ग के निर्माण का हमारे समक्ष कोई विवाद नहीं है और वह विवाद पूर्व मुकदमेबाजी द्वारा सुलझाया जाता है। इस प्रकार, अंततः ऐसा प्रतीत होता है कि चयन प्रक्रिया के बाद जिन लोगों को पदोन्नत किया जाना था, उनके लिए कुल रिक्तियाँ 1176 थीं।

5. प्रारंभिक परीक्षा 05.09.1999 को आयोजित की गई थी और परिणाम 05.11.1999 को घोषित किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को दिसंबर 1999 में आयोजित आईटी/पीटी में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। आईटी/पीटी परीक्षा का परिणाम 11.02.2000 को घोषित किया गया, जिसे रिट याचिका संख्या 9694/2000: त्रिलोकी नाथ पांडे और अन्य बनाम में इलाहाबाद उच्च

न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और मुकदमे के समापन तक पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार, मुकदमेबाजी के उस दौर के अंत में उत्तर प्रदेश राज्य को चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सरकारी अधिसूचना 9.12.2004 को जारी की गई थी और मुख्य लिखित परीक्षा 25.12.2005 को आयोजित की गई थी। मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम 24.01.2006 को घोषित किया गया और उसके अनुसार, 9671 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार 15.05.2006 से 20.07.2006 के बीच चार केंद्रों पर आयोजित किए गए। साक्षात्कार के परिणाम 11.11.2006 को उपलब्ध कराए गए।

6. साक्षात्कार के परिणाम की घोषणा के बाद मुकदमेबाजी का वर्तमान दौर शुरू हुआ, जिसमें असफल उम्मीदवारों ने कई आधारों पर साक्षात्कार प्रक्रिया को चुनौती दी। प्रारंभ में रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के समक्ष दायर की गई थी, जिसने याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य को उप-निरीक्षकों के पद की 1176 रिक्तियों के लिए नए सिरे से साक्षात्कार आयोजित करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया गया। खंडपीठ ने जिन उम्मीदवारों का चयन पहले ही आयोजित साक्षात्कार के बाद सब-इंस्पेक्टर पद के लिए किया गया था,

राज्यों को नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

7. एकल न्यायाधीश का निर्णय निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित था:

(i) चयन और पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया में 1977 तक संशोधित पुलिस विनियमों से काफी विचलन था।

(ii) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों की आवश्यक संख्या से चार गुना अधिक थी। चार बार रिक्तियों का नियम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमावली 1976 के पैराग्राफ 445 में मिलता है।

जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उनके लिए सीलबंद कवर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ऐसे व्यक्तियों के नाम भी चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी सूची में प्रदर्शित किये गये थे।

(iii) साक्षात्कार समिति के सदस्यों ने, जिन्होंने साक्षात्कार आयोजित किया था, व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग अंक नहीं दिए, बल्कि समिति द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक सामूहिक अंकन किया गया।

साक्षात्कार के बाद चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल किए गए, जो पहले ही मर चुके हैं या पुलिस विभाग के किसी अन्य विंग जैसे पीएसी में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

8. डिवीजन बेंच ने पाया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने तीन बुनियादी बिंदुओं पर निष्कर्ष निकाले थे। डिवीजन बेंच ने उन तीन निष्कर्षों को पलट दिया और निम्नलिखित आधारों पर फैसले को उलट दिया:

(i) डिवीजन बेंच ने पाया कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह नियम 1977 के यूपी पुलिस रेगुलेशन में पाया गया था और इसे 27.02.1999 के सरकारी आदेश द्वारा हटा दिया गया था। 27.02.1999 के आदेश में प्रावधान था कि मुख्य लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ii) इसमें आगे कहा गया कि एक बार उम्मीदवारों ने आपत्ति उठाए बिना चयन प्रक्रिया में भाग लिया था; उन्हें बाद के चरण में प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(iii) सीलबंद कवर प्रक्रिया के संबंध में, डिवीजन बेंच ने कहा कि यह प्रक्रिया दिनांक 23.01.1999 के आदेश के तहत एक आवश्यकता थी, लेकिन 27.02.1999 के आदेश के तहत नहीं। चूंकि बाद वाले ने विशेष रूप से पिछले आदेश को हटा दिया था, इसलिए सीलबंद कवर प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

(iv) साक्षात्कार में समग्र अंकन के संबंध में डिवीजन बेंच ने पाया

कि यह परीक्षा निकाय को तय करना है कि अंकन कैसे किया जाना चाहिए। अलग-अलग अंकन या समेकित अंकन मूल्यांकन के दो तरीके हैं और यह जांच करने वाली संस्था को निर्णय लेना है, न कि न्यायालय को कि कौन सा तरीका बेहतर है।

(v) डिवीजन बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि 27.02.1999 का बाद का सरकारी आदेश उन रिक्तियों के लिए चयन को नियंत्रित नहीं करता था जो 23.01.1999 और 03.02.1999 के आदेश द्वारा घोषित की गई थीं। इसमें पाया गया कि यह एक बुरा तर्क था और पूरी चयन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिनांक 27.02.1999 के आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

9. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, इसके बाद हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ अपने जांच और निष्कर्षों में बहुत स्पष्ट और सही थी, फिर भी हम उठाए गए सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।' हमारे अपने निष्कर्ष देंगे।

10. यूपी सरकार के उक्त विनियम (31.08.1977 तक संशोधित) के विनियम 445 में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता और प्रक्रिया का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया में नोटिस, पूर्व-परीक्षा (निबंध प्रकार की लिखित परीक्षा), चरित्र सूची की जांच, मुख्य लिखित परीक्षा और अंत में साक्षात्कार शामिल है। विनियमन

में प्रावधान है कि मुख्य लिखित परीक्षा की योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से चार गुना होगी। साक्षात्कार में, 40% अंक सेवा रिकॉर्ड के लिए आवंटित किए जाने हैं। यह हमें प्रस्तुत किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि ये नियम वास्तव में समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों का संकलन हैं। इसलिए, हम पाते हैं कि विनियम सरकारी आदेशों की तुलना में कोई बेहतर कानून नहीं हैं और यह सुझाव देना गलत हो सकता है कि विनियम कहलाने के कारण विनियम सरकारी आदेशों पर हावी होंगे। इतना कहने के बाद, हम 1999 में यूपी सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेशों की जांच करते हैं।

11. शासनादेश दिनांक 23.01.1999 को इस प्रकार लिखा गया है, "महामहिम राज्यपाल इसके द्वारा यूपी पुलिस के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के रूप में विभागीय उम्मीदवारों के चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाने का आदेश देते हैं।" उक्त आदेश प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), मुख्य लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण (या साक्षात्कार) का प्रावधान करता है। इसमें प्रावधान किया गया कि व्यक्तित्व परीक्षण करने वाले पैनलिस्टों को प्रत्येक उम्मीदवार को अलग-अलग अंक देने होंगे और भर्ती बोर्ड के प्रमुख को सभी पैनोलिस्टों द्वारा दिए गए अंकों को एकत्रित करना होगा। और उसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। आदेश में चरित्र पंजिका और सेवा रिकार्ड का भी प्रावधान किया

गया है, उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। आदेश सचिव, पुलिस/पीएसी को संबोधित था। भर्ती बोर्ड, मुख्यालय, महानिदेशक, उ.प्र. पुलिस और सचिव को उक्त आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

12. इसके बाद सचिव, पुलिस/पीएसी को संबोधित दिनांक 03.02.1999 का शासन पत्र आता है। भर्ती बोर्ड, मुख्यालय, महानिदेशक, उ.प्र. पुलिस। इस आदेश में भर्ती बोर्ड के सचिव को सिविल पुलिस में सब-इंस्पेक्टर रैंक की 1478 सीटों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि सीटों की संख्या बाद में घटाकर 1176 कर दी गई (जिन कारणों की पहले ही चर्चा हो चुकी है) और इस पर कोई विवाद नहीं है।

13. फिर शासनादेश दिनांक 27.02.1999 आता है, जो पुनः सचिव, पुलिस/पी.ए.सी. भर्ती बोर्ड, मुख्यालय, महानिदेशक, उ.प्र. पुलिस को संबंधित है। इस आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि दिनांक 23.01.1999 के आदेश को इस आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इसने विभागीय उम्मीदवारों के चयन के लिए एक नई प्रक्रिया निर्धारित की है। इस आदेश द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार), शारीरिक परीक्षण और पैदल सेना परीक्षण, मुख्य लिखित परीक्षा और फिर

साक्षात्कार शामिल था। इसमें प्रावधान किया गया कि प्रत्येक विषय में अलग-अलग 40% अंक और मुख्य लिखित परीक्षा में 50% कुल अंक प्राप्त करने वाले सभी लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा आदेश में प्रावधान है कि साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण और चरित्र पंजिका/सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन के लिए आवश्यकता के अनुसार एक चयन पैनल का गठन किया जाएगा और इसके सदस्यों का निर्धारण सरकार की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश में यह नहीं कहा गया था कि साक्षात्कार पैनल का गठन अथवा कार्य उपर चर्चा किये गये विनियम 445 के अनुसार किया जाना था। आदेश में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि चयन पैनल के सदस्यों को प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग अंक देने होंगे।

14. अब इन सभी सरकारी आदेशों और विनियमों का विश्लेषण करते हुए, हम पाते हैं कि उप-निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को हर सरकारी आदेश द्वारा बदला और संशोधित किया गया था। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान राज्य और अन्य के मामले का हवाला दिया। बनाम बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड, (2013) 15 एससीसी 1 का हवाला दिया, कहा कि मूल कानून की तुलना में प्रत्यायोजित कानून के दायरे का विरोध करता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नियमों को सरकारी आदेशों पर हावी नहीं कहा जा सकता

है। इस प्रकार, उपरोक्त उद्धृत निर्णय हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि विनियम केवल पिछले जी.ओ. का संकलन हैं। इसमें निहित निरसन का तर्क प्रस्तुत किया गया है। राज्य के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि हर बार नई प्रक्रिया निर्धारित होने पर पूर्व सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया गया था। इस तर्क की जांच करने के लिए, विनियमन 445 और सरकारी आदेश दिनांक 27.02.1999 से प्रासंगिक खंड निर्धारित करना समीचीन होगा। विनियमन 445(बी)(4) इस प्रकार है: "उपरोक्त सूची से योग्यता के अनुसार, मार्कर कैडेट में रिक्तियों की संख्या के लगभग 4 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए।" विनियम 445(बी)(4) में उल्लिखित 'उपरोक्त सूची' मुख्य लिखित परीक्षा की मेरिट सूची को संदर्भित करती है। दिनांक 27.02.1999 के सरकारी आदेश में खंड 8 में लिखा है: "प्रत्येक विषय में अलग-अलग 40% अंक और मुख्य लिखित परीक्षा के सभी विषयों में कुल 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।" उपरोक्त दोनों प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर विरोधाभास स्पष्ट है। ये दोनों प्रावधान साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। यह तर्क दिया गया कि खंड 8 में सरकारी आदेश में साक्षात्कार की सूची में आने के लिए उम्मीदवार के लिए योग्यता नहीं बल्कि केवल पात्रता प्रदान की गई थी। हालाँकि, यह विवाद टिक नहीं सकता क्योंकि खंड 8 में प्रयुक्त शब्द "करेगा" है। नियम उन सभी को

साक्षात्कार के लिए बुलाना अनिवार्य बनाता है जिन्होंने प्रत्येक विषय में अलग-अलग 40% अंक प्राप्त किए हैं और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं। यदि उपरोक्त दोनों नियम अस्तित्व में होते, तो यह एक विरोधाभासी स्थिति पैदा करता। इसलिए, हम पाते हैं कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में विनियमन 445 को 27.02.1999 के सरकारी आदेश के साथ प्रबल या सह-अस्तित्व में नहीं कहा जा सकता है।

15. इसके अलावा, हम पाते हैं कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से रिक्तियों की संख्या के अनुपात के संबंध में कोई कानून का नियम नहीं है; हालाँकि यह विवेक का नियम हो सकता है। इस न्यायालय ने मोहिंदर सैन गर्ग बनाम में पाया है। पंजाब राज्य और अन्य, (1991) 1 एससीसी 662, जैसा कि अशोक कुमार यादव बनाम में भी। हरियाणा राज्य, (1985) 4 एससीसी 417, हालांकि चयन समिति के लिए इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना अनुचित हो सकता है, लेकिन केवल इस आधार पर चयन को ख़राब नहीं किया जा सकता है यदि ऐसी कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है या परोक्ष मकसद. मोहिंदर सैन गर्ग (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार न करने का एक और कारण दिया जो इस मामले पर भी लागू होता है; इस न्यायालय ने पाया कि यदि पदों की संख्या से तीन गुना तक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो उत्तरदाताओं को

साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई मौका नहीं मिला। मौजूदा मामले में, इस संबंध में, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वकील ने भी इसी तरह का तर्क दिया है। यहाँ तक कि अपीलकर्ताओं ने भी ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया है कि यदि उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता, रिक्तियों की संख्या केवल चार गुना होने के कारण, उन्हें उस सूची में सूचीबद्ध किया जाता। इस प्रकार, हमें यह तर्क ग़लत लगता है।

16. इसके अलावा, हम डिवीजन बेंच से एक और बिन्दु पर सहमत होंगे कि अपीलकर्ताओं ने साक्षात्कार की प्रक्रिया में भाग लिया था और परिणाम घोषित होने तक इसे चुनौती नहीं दी थी। साक्षात्कार और परिणाम घोषित होने के बीच लगभग चार महीने का अंतर था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने उस समय इसे चुनौती नहीं दी। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जब अपीलकर्ताओं ने स्वयं को असफल पाया, तभी उन्होंने साक्षात्कार को चुनौती दी। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. उम्मीदवार एक ही समय में अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकते। या तो उम्मीदवारों को साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहिए था और प्रक्रिया को चुनौती देनी चाहिए थी या उन्हें साक्षात्कार आयोजित होने के तुरंत बाद चुनौती देनी चाहिए थी। (विजेंद्र कुमार वर्मा बनाम लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड और अन्य, (2011) 1 एससीसी 150, और के.एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय और अन्य (2006) 6 एससीसी 395 देखें)

17. इसके अलावा, हमारे विचार में, डिवीजन बेंच ने सीलबंद कवर प्रक्रिया के मुद्दे को सही ढंग से निपटाया है। जिन व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित है, उनके प्रति किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को रोकने के लिए सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया तैयार की गई थी। वर्तमान मामले में, यह किसी के लिए भी संभव नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रहग्रस्त हों। इसलिए, वर्तमान मामले में इस विवाद का कोई औचित्य नहीं है।

18. अब, जहां तक साक्षात्कार में सभी पैनलिस्टों द्वारा समेकित अंक देने का प्रश्न है, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष से सहमत हैं। बहुसदस्यीय साक्षात्कार पैनल के गठन का उद्देश्य मनमानी को दूर करना और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। साक्षात्कार पैनल के प्रत्येक सदस्य को उम्मीदवारों को अंक देने में अपना दिमाग लगाना आवश्यक है। प्रत्येक पैनलिस्ट द्वारा दिमाग के स्वतंत्र प्रयोग का सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि उन्होंने अलग-अलग अंक दिए। हालाँकि, यदि साक्षात्कार में केवल समेकित अंक दिए जाते हैं, तो यह प्रश्नगत हो जाता है यद्यपि यह निर्णायक नहीं है कि क्या प्रत्येक पैनलिस्ट ने स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाया था। ऐसा कहने के बाद, हम ध्यान दें कि इस न्यायालय ने लीला धर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य.. (1981) 4 एससीसी 159, में चेतावनी दी थी कि जब तक किसी विशेष मामले में स्पष्ट अप्रत्यक्ष उद्देश्य साबित नहीं हो जाते, तब तक चयन की उचित पद्धति को फिर से निर्धारित करना

न्यायालयों का काम नहीं है। यहां तक कि लीला धर के मामले (सुप्रा) में भी, मुद्दा चयन समिति द्वारा एक समेकित अंक के रूप में दिए गए अंकों के संबंध में था; कोर्ट ने इस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. केवल इसलिए कि साक्षात्कार समिति के पैनलिस्टों ने अलग-अलग अंक नहीं दिए, पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, कानूनी तर्क के संबंध में कि सरकारी आदेश दिनांक 03.02.1999 में यह प्रावधान है कि अंक साक्षात्कार पैनलिस्टों द्वारा अलग से दिए जाने चाहिए, हम मानते हैं कि दिनांक 03.02.1999 का सरकारी आदेश दिनांक 23.01.1999 के सरकारी आदेश की निरंतरता में था। जिसे दिनांक 27.02.1999 के सरकारी आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 27.02.1999 के सरकारी आदेश में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि प्रत्येक साक्षात्कार पैनलिस्ट द्वारा अंक अलग से दिए जाएं। ऐसे में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि सरकार ने अपने बनाये नियमों का पालन नहीं किया.

19. इसके अलावा, यह एक स्थापित कानून है कि वर्तमान जैसे मामलों में, जहां राज्य की कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, अदालत को सावधानी से चलना चाहिए और अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप तभी आवश्यक है जब कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य हो या न्याय का विफलता हो। वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई अप्रत्यक्ष मंशा या न्याय का विफलता

नहीं है। इसलिए, अपील और रिट याचिका खारिज की जाती है।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कुमकुम सिंह (आर.जे.एस.) (जिला न्यायाधीश संवर्ग) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है आैर किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।